न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –1/ 2016 जिला अलवर ।

1. अशोक कुमार पुत्र श्री नन्द किशोर
2. सदा राम पुत्र श्री सुखराम
समस्त जाति अहीर निवासी ग्रम उजोली, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. किशन देही पुत्री हरपाल पत्नि सुखराम जाति अहीर, निवासी उजोली तहसील कोटकासिम, जिला अलवर । हाल निवासी गॉव जोडी सापका तहसील फरूख नगर, जिला गुडगांव (हरियाणा)

1/1 अमृत लाल पुत्र सुखराम एवं किशन देही, जाति अहीर हाल निवासी मं. 13 गली नं.2 विजय नगर, रेवाडी (हरियाणा)

1/2 औम प्रकाश पुत्र सुखराम एवं किशन देही जाति अहीर हाल निवासी गांव जोडी सापका तहसील फरूख नगर गुडगांव (हरियाणा)

1/3 गज राज सिंह पुत्र सुखराम एवं किशन देही जाति अहीर हाल निवासी गांव जोडी सापका तहसील फरूख नगर गुडगांव (हरियाणा)

1/4 ईशवंती पुत्री किशन देही पत्नि हजारी लाल जाति अहीर हाल निवासी भांकरका तहसील मनिसर जिला गुडगांव (हरियाणा)

1/5 शकुन्तला पुत्री किशन देही पत्नि करण सिंह जाति अहीर निवासी मं.नं.71 वार्ड 8 बसई इन्क्लेव नजदीक क्षीन वुड पब्लिक स्कूल गुडगांव, जिला गुडगांव (हरियाणा)

1/6 सुशीला पुत्री किशन देही पत्नि सुरेश जाति अहीर निवासी गणेठी जिला रेवाडी (हरियाणा)

2. रेवती पुत्री हरपाल पत्नि राजस जाति अहीर निवासी ग्रम उजोली तहसील कोटकासिम , जिला अलवर ।

3. इमरती पुत्री ह रपाल पत्नि वीर सिंह जाति अहीर निवासी उजोली , तहसील कोटकासिम जिला अलवर । हाल निवासी दादरा तहसील एवं जिला रेवाडी (हरियाणा)

रेस्पोंडेन्ट्स

4. सही राम
5. गोपाला
6. सीताराम
7. धमेन्द्र
पुत्रान सुखराम जाति अहीर निवासी उजोली तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
8. मुरली पुत्री सुखराम पत्नि धन सिंह जाति अहीर निवासी दोसोद तहसील नीमराना, जिला अलवर ।
9. रेखा पुत्री सुखराम पत्नि संजय जाति अहीर निवासी जोनियास तहसील फरूख नगर जिला गुडगांव (हरियाणा)
10. कृष्णा पत्नि सुखराम अहीर निवासी उजौली तसहील कोटकासिम जिला अलवर ।
11. शकुन्तला पत्नि नन्द किशोर
12. फूल सिंह
13. नरेश कुमार
14. अजीत सिंह
पुत्रान नन्द किशोर अहीर निवासी उजौली तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
15. सुमन देवी पुत्री नन्द किशोर पत्नि स्व. नरेश अहीर निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी लिसान तहसील उहिना (रेवाडी)
16. कलावती पुत्री हरपाल पत्नि सुमेर सिंह अहीर निवासी उजौली तहसील कोटकासिम हाल निवासी मरूली पुर तहसील कोसली जिला रेवाडी (हरियाणा)
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बुढी बावल जरिये ब्रान्च मैनेजर बुद्धी बावल तहसील कोटकासिम , जिला अलवर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 5.2.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बनवारी लाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 एवं 3 श्री भंवर सिंह

निर्णय

दिनांक– 20.2.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 5.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम उजौली, तहसील किशनगढ, जिला अलवर स्थित आराजी खाता संख्या 142 खसरा किता 33 रकबा 75 बीघा एव खाता संख्या 6 खसरा किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का खातेदार हरपाल पुत्र श्योसहाय अहीर था । खातेदार हरपाल के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 196 पटवारी हल्का द्वारा नन्द किशोर , सुखराम पुत्रान हरपाल के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 13.9.84 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार हरपाल की पुत्रियॅा किशन देई, रेवती व ईमरती द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम , जिला अलवर के समक्ष दिनांक 30.7.2013 मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.2.2016 से ग्रम पंचायत सरपंच के प्रमाण पत्र में अपीलान्टान को मृतक हरपाल की पुत्रियॅा व वारिसान होना बताने एवं कानूनन जायन्दा/नैसर्गिक रूप से जन्मी पुत्रियॅा अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा पाने का विधिक अधिकार रखने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन दिनांक 9.9.2005 के द्वारा भी पुत्रियों को कोपार्शनरी बाई बर्थ अधिकार प्रदान किये जाने से स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 13.9.84 निरस्त किया एवं नामांतरकरण हरपाल के विधिक वारिसान अपीलान्टान के नाम 1/2 समभाग, रेस्पों.1 लगायत 8 के नाम 1/6 समभाग व रेस्पोंडेन्ट 9 से 14 के नाम 1/6 समभाग तथा रेस्पों.15 के नाम 1/6 भाग दर्ज व मंजूर करने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के उक्त निर्णय दिनांक 5.2.2016 के खिलाफ मृतक खातेदार हरपाल के मृतक पुत्र नन्द किशोर के पुत्र अशोक कुमार एवं मृतक पुत्र सुखराम के पुत्र सतीराम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 5.2.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्गनत नामांतरकरण संख्या 196 दिनांक 13.9.84 के खिलाफ प्रथम अपील करने की समय सीमा एक माह है , लेकिन रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपील 30.7.13 को अर्थात 29 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा उन्हें नामांतरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी एवं विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके तहत विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करनी चाहिये थी । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा न ही वे ग्रम उजौली में रह रही है । उनका कहना था कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है । हरपाल की मृत्यु के बाद नन्द किशोर व सुखराम की भी मृत्यु हो गई थी । मृतक खातेदार हरलाल के मृतक पुत्र सुखराम व नन्दकिशोर की विरासत के नामांतरकरण संख्या 1068 दिनांक 5.5.2011 एवं 791 दिनांक 20.2.2007 को तस्दीक हो चुके हैं जिनके विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है एवं इनके निरस्त हुये बिना रेस्पोंडेन्ट्स को कोई राहत नहीं मिल सकती । माननीय उच्च न्यायालय ने लडकियों का पैतृत सम्पत्तियों में हक वर्ष 2005 से लागू किया है इसलिये हरपाल की भूमि में रेस्पोंडेन्ट्स का कोई अधिकार नहीं बनता । उनका कहना था कि

अपीलान्ट्स विवादित आराजी पर काबिज काश्त है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 64 (4) के मुताबिक विवादित आराजी पर 12 वर्ष सें अधिक समय से कब्जा होने से अब रेस्पोंडेन्ट्स का विवादित आराजी में कोई हक नहीं बनता । उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । यदि रेस्पोंडेन्ट्स का विवादित भूमि में इतने लम्बे अन्तराल के बाद कोई हक बनता है तो उन्हें अपने हक हकूक नियमित वाद के माध्यम से तय कराने चाहिये । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट रेवती व इमरती पुत्रियॅा हरपाल द्वारा भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिया गया , लेकिन विक्रय पत्र पर उप पंजीयक कोटकासिम द्वारा यह नोट अंकित कर पंजीयन किया गया कि – ''दस्तावेज पेश होने पर क्रेता विक्रेता को बताया गया कि दस्तावेज से संबंधित भूमि पर एक वाद मुताबिक रिकार्ड न्यायालय श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महो. के यहॅा स्थगन विचाराधीन है । क्रेता विक्रेता दोनों ने सुन समझकर पंजीयन करवाने पर अडिग रहे । अतः राज्यहित में महा निरीक्षण पंजीकन मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र संख्या 20/93 कमांकः एफ.7(257) जन/104–790 दिनांक 4.9.1993 के अनुसरण में पंजीयन नियमावली 1955 के नियम 39 का नोट अंकित कर दस्तावेज पंजीयन किया जाता है''। अधीनस्थ न्यायालय ने निराशाजनक रूप से विलम्बित अपील को स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जाकर अपीलान्टान एवं रेस्पोंडेन्ट्स के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं, जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 196 दिनांक 13.9.84 यथावत रखा जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2011 पेज 891, आर.बी.जे.2008 पेज 674, ए.आई.आर. 1998 एस.सी.पेज 2776, आर.आर.डी.2002 पेज 20, आर.आर.डी. 1987 पेज 140, आर.आर.टी. 2006 पेज 1085, आर.आर.टी. 2006 पेज 99, आर.आर.टी.2003 पेज 1090, आर.आर.डी. 2008 पेज 74, ए.आई.आर.1984 पेज 33, ए.आई.आर. 1962 पेज 361, आर.आर.टी. 2011 पेज 786, डी.एन.जे. 2015 एस.सी. पेज 1088, ए. आई.आर. 2006 एस.सी. पेज 3332 एवं दो विक्रय पत्रों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरपाल की विरासत का नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की विधिवत जॅाच किये एवं बिना रेस्पोंडेन्ट्स को सुने तथा पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट किशन देई, रेवती व ईमरती मृतक खातेदार हरपाल की जायन्दा पुत्रियॅा है ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के अनुसार अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । उनका कहना था कि हरपाल की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोंडेन्ट्स को उनके सगे भाईयों ने आश्वस्त कर रखा था कि इन्तकाल में उनका भी हिस्सा है जिसकी जिन्स व नकद राशि लेती थी । रेस्पोंडेन्ट्स के दोनों भाईयों के जिन्दा रहते विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ एवं दोनों भाईयों के फौत होने के पश्चात् भाई के लडकों ने रेस्पोंडेन्ट 1 से 3 (भुवाओं) को उनका हिस्सा/बटाई देना बन्द कर देने पर रिकार्ड की जानकारी कर नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी , जो अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया है तथा मृतक हरपाल के विधिक वारिसान अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स के नाम नामांतरकरण मंजूर करने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरपाल की विरासत के नामांतरकरण संख्या 193 दिनांक 23.9.1984 के संबंध में हैं जो ग्रम पंचायत उजौली द्वारा मृतक हरपाल की पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या रेस्पों.1 से 3 को छोडते हुये केवल पुत्र अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता नन्दकिशोर व सुखराम के नाम स्वीकार किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक हरपाल की पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट 1 से 3 की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.2.2016 से ग्रम पंचायत सरपंच के प्रमाण पत्र में अपीलान्टान को मृतक हरपाल की पुत्रियॅा व वारिसान होना बताने एवं कानूनन जायन्दा/नैसर्गिक रूप से जन्मी पुत्रियॅा अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा पाने का विधिक अधिकार रखने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन दिनांक 9.9.2005 के द्वारा भी पुत्रियों को कोपार्शनरी बाई बर्थ अधिकार प्रदान किये जाने से स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 196 दिनांक 13.9.84 निरस्त किया एवं नामांतरकरण हरपाल के विधिक वारिसान अपीलान्टान के नाम

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

1/2 समभाग, रेस्पों. 1 लगायत 8 के नाम 1/6 समभाग व रेस्पोंडेन्ट 9 से 14 के नाम 1/6 समभाग तथा रेस्पों. 15 के नाम 1/6 भाग दर्ज व मंजूर करने के आदेश दिये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक खातेदार की पुत्रियॉ भी अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की अधिकारी है । ग्रम पंचायत द्वारा हरपाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में मृतक की पुत्रियों को छोड कर केवल पुत्रों के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.2.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये मृतक हरपाल के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण मंजूर करने के आदेश तहसीलदार कोटकासिम को दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर